पत्र संख्या-नई इकाई-10-निवेश मित्र(13-14)/ 332 / 1314139 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(नई इकाई अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक : 12 : मार्च ,2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- निवेश मित्र व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0-114/11-2-2014-9(9) /11 दिनांक 24-02-2014 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निवेश मित्र व्यवस्था को दिनांक 19-09-2012 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया जा चुका है। इसे और प्रभावी बनाये जाने हेतु उद्योग बन्धु द्वारा इस व्यवस्था का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।

शासन द्वारा निवेश मित्र व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है :-

1- वाणिज्य कर विभाग में निवेश-मित्र व्यवस्थान्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाय।

2- निवेश-मित्र व्यवस्था से सम्बन्धित पत्राचार **' गुलाबी रंग '** के कागज पर किया जाय, जिससे उसकी भिन्न पहचान हो सके।

अतः उक्त सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि कृपया निवेश मित्र व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु शासन के निर्देशानुसार अपने अधिक्षेत्र के अन्तर्गत समस्त सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उक्त बिन्दुओं का सम्यक व कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

12.3.14

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) ,वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक उक्त ,

प्रतिलिपि अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, 12-सी माल एवेन्यू, लखनऊ को उक्त संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (विधि) ,वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–114/11–2–2014–9(9)/11

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेष शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0–2 **लखनऊः दिनॉंकः 25 फरवरी, 2014**

विषयः– **निवेश मित्र व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1686/77–6–13–47(एम)/2013, दिनांक 30–10–2013 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निवेश मित्र व्यवस्था को दिनांक 19–09–2012 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया जा चुका है। इसे और प्रभावी बनाये जाने हेतु उद्योग बन्धु द्वारा इस व्यवस्था का निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है। निवेश मित्र व्यवस्थान्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्राथमिकता के अधार पर निस्तारित करने के लिये निवेश मित्र से आच्छादित विभागों के आन्तरिक शासनादेश जारी किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त यह भी अपेक्षा की गयी है कि निवेश मित्र व्यवस्था से संबंधित पत्राचार **'गुलाबी रंग'** के कागज पर किया जाये, जिससे उसकी भिन्न पहचान हो सकें।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्न बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें:–

(1) वाणिज्य कर विभाग में निवेश मित्र व्यवस्थान्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाय।

(2) निवेश मित्र व्यवस्था से संबंधित पत्राचार **'गुलाबी रंग'** के कागज पर किया जाये, जिससे उसकी भिन्न पहचान हो सकें।

संलग्नकः: यथोक्त।

भवदीय,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1686/77-6-13 -47(एम)/2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण/वन/सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम/ऊर्जा/कर/गृह/श्रम/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 अक्टूबर, 2013

विषय : निवेश मित्र व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि निवेश मित्र व्यवस्था को दिनांक 19.09.12 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया जा चुका है। इसे और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु उद्योग बन्धु द्वारा इस व्यवस्था का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।

उपरोक्त महत्वाकांक्षी व्यवस्था की समीक्षा दिनांक 16.09.13 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत 'राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु' की बैठक में की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि निवेश मित्र व्यवस्थान्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के लिये एक माह के अन्दर निवेश मित्र से आच्छादित विभागों के आन्तरिक शासनादेश जारी हो जाएं तथा निवेश मित्र व्यवस्था से सम्बंधित पत्राचार 'गुलाबी रंग' के कागज पर किया जाए जिससे उसकी भिन्न पहचान हो सके।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में समयबद्ध कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन तथा उद्योग बन्धु को अवगत कराएं ताकि वांछित सूचना संकलित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जा सके।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव